रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 119] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 27, 2015/फाल्गुन 8, 1936
No.119] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 27, 2015/PHALGUNA 8, 1936

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2015

सा.का.नि. 127(अ).—केंद्रीय सरकार, चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 (1982 का 4) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चीनी विकास निधि नियम, 1983 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम चीनी विकास निधि (संशोधन) नियम, 2015 है।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. चीनी विकास निधि नियम, 1983 (इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 20ख के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"20ख, कच्ची चीनी के उत्पादन के लिए विपणन और संवर्धन सेवाओं संबंधी व्यय को चुकाना"-

(1) केंद्रीय सरकार कच्ची चीनी के उत्पादन के लिए विपणन और संवर्धन सेवाओं के लिए प्रोत्साहन के प्रति व्यय को चुकाने के लिए समय-समय पर विनिश्चय कर सकती है।

(2) ऐसे चीनी कारखाने जो कच्ची चीनी का उत्पादन करते हैं और इसका या तो स्वंय या निर्यातकों के माध्यम से निर्यात करते है,चीनी मौसमों 2013-14 और 2014-15 के चीनी मौसमों के दौरान इस स्कीम के अधीन किए गए लदान पर प्रोत्साहन के लिए पात्र होंगें।

परंतु यह कि चीनी मौसम 2014-15 के दौरान कच्ची चीनी के निर्यात या होने वाले निर्यात पर ऐसे चीनी कारखाने, जिनके पास एथॅनाल उत्पादन की क्षमता है, प्रोत्साहन के लिए पात्र होंगे, यदि वे एथॅनाल की मात्रा, जो उनके वार्षिक एथॅनाल उत्पादन क्षमता के बराबर हो या एथॅनाल की मात्रा जो उनके वार्षिक ऐल्कोहाल

उत्पादन के 25 प्रतिशत के बराबर हो, इसमें जो भी कम हो, तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) को उक्त मौसम के दौरान ओएमसी द्वारा जारी अभिरूचि की अभिव्यक्तियों के विरुद्ध बोली पर आपूर्ति करने का प्रस्ताव करते हैं।

(3) चीनी करखाने अग्रिम प्राधिकार स्कीम के अधीन अग्रिम प्राधिकार अनुज्ञपति के आयात अमान्यकरण के विरुद्ध कच्ची चीनी की आपूर्ति हेतु ऐसे प्रोत्साहन के लिए हकदार होंगे;
परंतु यह कि ऐसी कच्ची चीनी की घरेलू आपूर्ति का परिष्करण और निर्यात इसकी आपूर्ति के नब्बे दिन के भीतर कर दिया जाए।

(4) प्रोत्साहन, फरवरी और मार्च, 2014 के लिए प्रति मीट्रिक टन तीन हजार तीन सौ रूपए, अप्रैल- मई, 2014 के लिए प्रति मीट्रिक टन दो हजार दो सौ सतहत्तर रुपए, जून- जुलाई, 2014 के लिए प्रति मीट्रिक टन तीन हजार तीन सौ रुपए तथा अगस्त–सितम्बर, 2014 के लिए प्रति मीट्रिक टन तीन हजार तीन सौ इकहत्तर रूपए की दर से होगी और चालू चीनी मौसम 2014-15 (अक्तूबर 2014- सितम्बर 2015) के लिए प्रोत्साहन प्रति मीट्रिक टन चार हजार रुपए होगा।

(5) (i) तारीख 28.02.2014 से 30.09.2014 की अवधि के दौरान किए गए निर्यात के लिए प्रोत्साहन दर लदान की तारीख के निर्धारण के आधार पर होगी
(ii) चालू चीनी मौसम 2014-15 के लिए प्रोत्साहन चौदह लाख मी.टन की निर्धारित मात्रा के लिए उपलब्ध होगा, कच्ची चीनी के सीधे निर्यात के मामले में उक्त मौसम के लिए दावों का भुगतान, निर्यात की तारीख से तथा रिफाइनरियों को उनके अग्रिम प्राधिकार के अमान्यकरण के विरुद्ध कच्ची चीनी की आपूर्ति के मामले में निर्यात की संभावित तारीख के आधार पर होगा।

(6) महानिदेशक, विदेश व्यापार के वेब पते http://dgft.gov.in/homepage.asp, के माध्यम से, चाहे वह कच्ची चीनी के सीधे निर्यात के लिए हो अथवा अग्रिम प्राधिकार धारकों के लिए अविधिमान्यकरण के विरूद्ध समझे गए निर्यात आपूर्तियों के लिए हो, निर्यात संविदाओं का पूर्व रजिस्ट्रीकरण/आज्ञापक होगा।

(7) चीनी मौसम 2014-15 में किए गए निर्यात के लिए प्रोत्साहन केवल चीनी मौसम 2013-14 या 2014-15 में कच्ची चीनी उत्पादन के संबंध में ही लागू होगी।

(8) चीनी कारखाने को संदाय प्रोत्साहन किसानों को इसके प्राप्त होने के तीन महीनों के अंदर भुगतान करने के उपयोग में लाया जाएगा तथा इसके उपयोग को इसके बाद एक महीने के अंदर चीनी आयुक्त या गन्ना आयुक्त के माध्यम से इसमें विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में प्रस्तुत किया जाएगा।

(9) जारी प्रोत्साहन राशि का किसानों को भुगतान के उपयोग मे लाने हेतु सुनिश्चित करने के क्रम में चीनी कारखाने को या तो अलग से नो-लियन बैंक खाता खोलना होगा तथा इसके दावों के ब्यौरे प्रस्तुत करने के समय प्रस्तुत करने होंगे या एस ई एफ ए एस यू – 2014 के लिए पहले खोले गए इसी प्रकार में खाता इंगित करना होगा।

(10) चीनी कारखाने को देय प्रोत्साहन को चीनी विकास निधि के ऋण यदि कोई बकाया हो और एल.एस.पी.ई.एफ. देयों का समायोजन या रकम को वसूल करने के बाद जारी किया जाएगा।

(11) चीनी करखाना मुख्य निदेशक (शर्करा निदेशालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग नई दिल्ली को प्ररूप –X में उपनियम (4) में निर्दिष्ट भुगतान के लिए अपने दावे को प्रस्तुत करेंगा और उसी समय कारखाने से निर्यात/निर्यात की संभावित तारीख वेब पते http://esugar.nic.in/sugar_pii/के माध्यम से प्रस्तुत करेगा।

(12) अक्तूबर, 2014-मार्च, 2015, अप्रैल-मई, 2015, जून-जुलाई, 2015 अगस्त-सितम्बर, 2015 के दौरान किए गए लदान हेतु प्रोत्साहन के लिए दावा उक्त अवधि के अंतिम दिन से एक सौ बीस दिनों के अंदर प्रस्तुत करना होगा।
बशर्ते कि किए जाने वाले निर्यात के मामले में अगस्त-सितंबर, 2015 की अवधि के लिए प्रोत्साहन हेतु दावा दो सौ दस दिनों के अंदर करना होगा।

(13) जहां केंद्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है इस नियम के किसी उपाबंध को आदेश द्वारा और उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए शिथिल कर सकेगी।

(14) केंद्रीय सरकार इस स्कीम को किसी भी समय संशोधित या परिवर्तित अथवा बंद कर सकेगी और ऐसे विनिश्चय के विरुद्ध फायदाग्राहियों को दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

स्पष्टीकरण: इस नियम के उद्देश्य के लिए 'कच्ची चीनी' से वह चीनी अभिप्रेत है जिसके अनुसार मात्रा भार से शुष्क अवस्था में, 99.5 से कम पोलारिमीटर रीडिंग के अनुरूप होता है जैसाकि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के प्रथम अनुसूची के अध्याय 17 के उप-शीर्षक के टिप्पण 2 में निर्दिष्ट है।

3 उक्त नियम में प्ररूप –X के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाए

प्ररूप X

[नियम 20ख का उपनियम (11) देखें]

कच्ची चीनी उत्पादन के विपणन और संवर्धन सेवाओं का आस्थगित व्यय चुकाने के लिए आवेदन

(कच्ची चीनी उत्पादक कारखाने द्वारा दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाना है)

1. कच्ची चीनी विनिर्माता का विवरण:-
   क) नाम:-
   ख) संयंत्र का संक्षिप्त नाम:-
   ग) संयंत्र की कोड संख्या:-
   घ) पूरा पता:-
   ङ) टेलीफोन संख्या, फैक्स संख्या और ई-मेल:-
   च) आई. ई. सी. कोड संख्या (यदि कारखाने ने स्वंय निर्यात किया हो):-
2. निर्यातक का विवरण (यदि निर्यातक व्यापारी के माध्यम से निर्यात हुआ हो):-
   क) नाम:-
   ख) पता:-
   ग) आई. ई. सी. कोड संख्या:-
   घ) आईईसी की वैधता की तारीख:-
3. गन्ना मूल्य बकाया का भुगतान करने के लिए आर.टी.जी.एस. कोड के साथ अलग बैंक खाते (ग्रहाणाधिकार खाता न हो) के ब्यौरे:-
4. ऐथनाल उत्पादन/तेल विपणन कंपनियों (तेल विनिर्माण कंपनियाँ) को आपूर्ति के ब्यौरे (ऐथनाल उत्पादन क्षमता वाले चीनी कारखानों के लिए आज्ञापक)

क्रम संख्या	2014-15 के चीनी मौसम के दौरान उत्पादित कुल ऐल्कोहाल	एथनाल उत्पादन की स्थापित क्षमता	2014-15 के चीनी मौसम के दौरान उत्पादित कुल एथनॉल	ओ एम सी स्तंभ द्वारा जारी ई ओ आई की तारीख (तारीखें) जिस पर ईबीपी के लिए एथनाल की आपूर्ति की गयी	स्तंभ 4 में निर्दिष्ट ई ओ आई से चीनी मौसम 2014-15 के चीनी मौसम के दौरान ओ एम सी को आपूर्ति हेतु एथनाल की प्रस्तावित मात्रा	वार्षिक एलकोहल उत्पादन में एथनॉल आपूर्ति का प्रतिशत [(आपूर्ति किया गया एथनाल / उत्पादित ऐल्कोहाल) X 100]	टिप्पणियाँ यदि कोई हो

टिप्पण: यदि संबंधित राज्य सरकार एथनाल उत्पादन पर कोई निर्बंधन लगाती है तो उसका उल्लेख टिप्पणी के स्तंभ में स्पष्ट तौर पर किया जाय और इस संबंध में संबंधित उत्पाद शुल्क प्राधिकारी का प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाय।

5. भुगतान के लिए दावा की गई रकम के ब्यौरे:

क्रम संख्या	कच्ची चीनी का उत्पादन और किया गया निर्यात (मी.टन में)	प्रोत्साहन रकम प्रति मी.टन (रु. में)	प्रोत्साहन के लिए ग्राह्य कुल रकम (रु. में)	टिप्पणियाँ, यदि कोई हो

6. संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों के ब्यौरे;

I. निर्यात दस्तावेज (यदि मूल दस्तावेज न हो, तो उससे संबंधित दस्तावेज सीमा शुल्क अधिकारियों/उत्पाद शुल्क/बैंक अधिकारियों द्वारा प्रमाणित किया गया हो:

(क) कच्ची चीनी निर्यात के मामले में;

(क) एआरई-1 की प्रमाणित प्रति

(ख) ऐसे निर्यात पर ली गई शुल्क वापसी को उपदर्शित करते पोत परिवहन पत्र की प्रमाणित प्रति

(ग) एलईओ की प्रमाणित प्रति।

(घ) निर्यात से प्राप्त आगम का प्रमाण पत्र (बीआरसी)

(ङ) डीजीएफटी द्वारा जारी आरसी की प्रति

(च) यदि व्यापारी निर्यात कारखाने द्वारा उत्पादित कच्ची चीनी का निर्यात करता है तो एक अतिरिक्त प्रमाण पत्र जो व्यापारी निर्यात और कारखाने के बीच संविदा को सिद्ध करता हो।

(ख) एए अविधिमान्यकरण के सापेक्ष परिष्कृत चीनी के निर्यात के मामले में:

(क) कच्ची चीनी उत्पादक और एए धारक के मध्य करार

(ख) अधिमान्यकरण एए लाइसेंस की प्रति

(ग) एआरई-3 की प्रमाणित प्रति

(घ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारी द्वारा यह उपदर्शित करते हुए कि आयात अविधिमान्यकरण पर रिफाइनरी में कच्ची चीनी की प्राप्ति है आरजी-1 की सम्यक् रूप से प्रमाणित प्रति हुई।

(ङ) एआरई-2 की प्रमाणित प्रति

(च) पोत परिवहन पत्र की प्रमाणित प्रति

(छ) एलईओ की प्रमाणित प्रति

(ज) बैंक द्वारा जारी निर्यात से प्राप्त आगम वसूली का (बीआरसी) प्रमाण पत्र

(झ) डीजीएफटी द्वारा जारी आरसी की प्रति

(ञ) ईआर-1 की प्रमाणित प्रति।

(ग) एथनाल उत्पादन क्षमता रखने के दावेदार चीनी कारखाने द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज :-

(क) एथनाल की वार्षिक स्थापित क्षमता दर्शित करने वाले दस्तावेज जो क्षेत्राधिकार रखने वाले उत्पाद शुल्क प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित हो।

(ख) 2014-15 के चालू चीनी मौसम के दौरान ऐल्कोहल और एथनाल की उत्पादित मात्रा उपदर्शित करते हुए संबंधित उत्पाद शुल्क प्राधिकारी से प्रमाण पत्र।

(ग) सबंधित तेल विपणन कंपनियों से उनकी ईओआई पर आपूर्ति हेतु एथनाल की प्रस्तावित मात्रा उपदर्शित करते हुए उनका प्रमाण पत्र।

(घ) संबंधित चीनी कारखाने द्वारा, जिसने एथनाल का उत्पादन किया है लेकिन 2014-15 के चीनी मौसम के दौरान ओएमसी द्वारा ईओआई जारी न किए जाने की वजह से आपूर्ति का प्रस्ताव न किया जा सका हो, उसे 50 रुपए के गैर न्यायिक स्टांप पेपर पर यह उपदर्शित करते हुए एक वचन-पत्र (अंडरटेकिंग) देना होगा कि कारखाने ने तेल विपणन कंपनियों को भविष्य में जैसे ही ईओआई जारी होती है आपूर्ति हेतु अपेक्षित मात्रा में एथनाल का उत्पादन कर लिया है।

II. उपाबंध-I पर दिए अनुसार निर्धारित प्रोफार्मा में पूर्व-प्राप्ति बिल रेवेन्यू टिकट के साथ

III. प्रेषित/निर्यात मात्रा, निर्यात की तारीख और निर्यात का बैंक प्रमाण पत्र के ब्यौरे तथा मासों के दौरान किए गए निर्यात पर प्राप्ति की एआरई-1 के अनुसार समाधान विवरण उपाबंध-2 पर दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार।

स्थान:

तारीख:

(चीनी कारखाने के नामनिर्दिष्ट)
हस्ताक्षरकर्ता का नाम और पदनाम)
(कृपया नाम लिखें और मोहर लगाएं)

उपाबंध –I

कच्ची चीनी उत्पादन के विपणन और संवर्धन सेवाओं पर व्यय चुकाने के लिए पूर्व प्राप्त बिल

(दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाना है)

कारखाने का नाम और पता:-

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग से रु. .... (रु. .... रुपए केवल) प्राप्त किए।

घोषणा:-

1. मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान एवं घोषणा करता हूं कि उपर्युक्त दी गई सूचना सही है और इससे संबंधित कोई भी सूचना छिपाई नहीं गई है।
2. मैं घोषणा करता हूं कि कच्ची चीनी उत्पादन की विपणन और संवर्द्धन सेवाओं के व्यय चुकाने के दावे के लिए उपरोक्त दावा पूर्ण और अंतिम निपटान है।
3. मैं प्रमाणित करता हूं कि चीनी कारखाने ने कच्ची चीनी के विपणन और संवर्द्धन सेवाओं पर इस दावे के प्रस्तुत करने से पूर्व केन्द्रीय सरकार से प्ररूप X की क्रम संख्या 4 पर उल्लिखित अवधि के दौरान निर्यात की गई मात्रा के लिए चुकाया गया व्यय प्राप्त नहीं किया है।
4. मैं, यदि उपर्युक्त दावे में की गई कोई सूचना किसी भी समय असत्य पाई गई तो, यथा अपेक्षित केंद्रीय सरकार को प्राप्त किए गए दावे की ऐसी रकम ब्याज सहित लौटाने के लिए वचनबद्ध हूँ।
5. मैं, यदि कोई रकम जो गन्ना कीमतों के संदाय के लिए प्राप्त की गई थी और इस हेतु इसके देयों का उपयोग नहीं किया गया या इन नियमों के उपबंधों का सख्ती से पालन नहीं किया गया हो, जैसा भी अपेक्षित हो, तो मैं केंद्रीय सरकार को प्राप्त किए गए दावे की रकम ब्याज सहित लौटाने के लिए वचनबद्ध हूं।
6. मैं यह भी घोषणा करता हूं मैं पूर्ववर्ती घोषणा करने और स्वत्वधारी या भागीदार या कम्पनी या अधिभोगी या उपर्युक्त चीनी कारखाने के स्वामी की ओर से इन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए सक्षम हूं।

स्थान:

तारीख:

(चीनी कारखाने के प्राधिकृत)
हस्ताक्षरकर्ता का नाम और पदनाम)

(कृपया नाम लिखें और मोहर लगाएं)

उपाबंध –2

प्रेषित/निर्यात की गई उत्पाद शुल्क वाली मालवार (ए.आर.ईज़) मात्रा को हटाने और उसके साथ-साथ प्ररूप X के क्रम सं. 4 में उल्लिखित अवधि के दौरान किए गए ऐसे निर्यात और वसूली के प्रति निर्यात को प्रमाणित करने वाले बैंक प्रमाणपत्र के लिए आवेदन का समाधान विवरण।

दावे की अवधि (अक्तूबर, 2014-सितम्बर, 2015)

निर्यात की गई मात्रा .... मीट्रिक टन

4884 GI/15-2

एआरई-1		एआरई-2		एआरई-3							
क्रम संख्या और तारीख	निर्यात की गई मात्रा (टनों में)	क्र.सं. और तारीख	निर्यात की गई मात्रा (टनों में)	क्र.सं. और तारीख	निर्यात की गई मात्रा (टनों में)	एसबी संख्या और तारीख	एसबी की कुल मात्रा	संबंधित एआरई-1/एआरई-2 की मात्रा	एसबी की एलईओ तारीख	तत्समान एसबी के लिए बीआरसी की लदान तारीख	टिप्पणियां
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
कुल											

स्थान:
तारीख:

(चीनी कारखाने के प्राधिकृत
हस्ताक्षरकर्ता का नाम और पदनाम)

(कृपया नाम लिखें और मोहर लगाएं)

प्ररूप

[नियम 20ख का उपनियम (11) देखें]

उपयोगिता प्रमाण पत्र

कच्ची चीनी के उत्पादन की विपणन और संवर्द्धन सेवाओं के लिए प्रोत्साहन के लिए संदत्त रकम का उपयोगिता प्रमाण पत्र

चीनी कारखाने का नाम:

संक्षिप्त नाम और संयत्र कोड:

यह प्रमाणित किया जाता है कि कच्ची चीनी उत्पादन के विपणन और संवर्द्धन सेवाओं के प्रोत्साहन के लिए .... रु. की रकम जो कि .... (बैंक व शाखा का नाम) द्वारा धारित .... नो-लियन खाता संख्या .... में .... तारीख को संवितरित की गई थी, जो केंद्रीय सरकार द्वारा नियत फेयर एंड रेमुनेरेटिव प्राइज (एफआरपी) से संबंधित है, वह किसानों के गन्ना बकाया के संदाय हेतु प्रोत्साहन रकम के प्राप्त होने के तीन माह के अंदर उपयोग में ले ली गई है।

हस्ताक्षर :
नाम :
पदनाम:
(कार्यालय की मुहर लगाएं)
तारीख:
स्थान:
(राज्य चीनी या गन्ना आयुक्त द्वारा हस्ताक्षरित हो)

[फा. सं. 20(90)/2013-एसपी-I]

प्रशांत त्रिवेदी, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्या सा.का.नि. 752(अ) तारीख 28 सितम्बर, 1983 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचना द्वारा संशोधन किए गए थे :—

(i) सा.का.नि. 817(अ), तारीख 20 दिसम्बर, 1984;

(ii) सा.का.नि. 838(अ), तारीख 14 नवम्बर, 1985;

(iii) सा.का.नि. 551(अ), तारीख 6 मई, 1988;

(iv) सा.का.नि. 235(अ), तारीख 24 अप्रैल, 1991;

(v) सा.का.नि. 441(अ), तारीख 28 अप्रैल, 1992;

(vi) सा.का.नि. 435(अ), तारीख 6 मई, 1994;

(vii) सा.का.नि. 27(अ), तारीख 12 जनवरी, 1996;

(viii) सा.का.नि. 656(अ), तारीख 21 नवम्बर, 1997;

(ix) सा.का.नि. 91(अ), तारीख 12 फरवरी, 2001;

(x) सा.का.नि. 886(अ), तारीख 6 दिसम्बर, 2001;

(xi) सा.का.नि. 442(अ), तारीख 21 जून, 2002;

(xii) सा.का.नि. 584(अ), तारीख 19 अगस्त, 2002;

(xiii) सा.का.नि. 67(अ), तारीख 29 जनवरी, 2003;

(xiv) सा.का.नि. 241(अ), तारीख 25 मार्च, 2003;

(xv) सा.का.नि. 787(अ), तारीख 6 अक्तूबर, 2003;

(xvi) सा.का.नि. 895(अ), तारीख 19 नवम्बर, 2003;

(xvii) सा.का.नि. 953(अ), तारीख 17 दिसम्बर, 2003;

(xviii) सा.का.नि. 72(अ), तारीख 23 जनवरी, 2004;

(xix) सा.का.नि. 687(अ), तारीख 21 अक्तूबर, 2004;

(xx) सा.का.नि. 739(अ), तारीख 9 नवम्बर, 2004;

(xxi) सा.का.नि. 149(अ), तारीख 2 मार्च, 2005;

(xxii) सा.का.नि. 451(अ), तारीख 4 जुलाई, 2005;

(xxiii) सा.का.नि. 558(अ), तारीख 15 सितम्बर, 2006;

(xxiv) सा.का.नि. 188(अ), तारीख 9 मार्च, 2007;

(xxv) सा.का.नि. 697(अ), तारीख 7 नवम्बर, 2007;

(xxvi) सा.का.नि. 699(अ), तारीख 8 नवम्बर, 2007;

(xxvii) सा.का.नि. 738(अ), तारीख 29 नवम्बर, 2007;

(xxviii) सा.का.नि. 749(अ), तारीख 5 दिसम्बर, 2007;

(xxix) सा.का.नि. 115(अ), तारीख 28 फरवरी, 2008;

(xxx) सा.का.नि. 279(अ), तारीख 10 अप्रैल, 2008;

(xxxi) सा.का.नि. 388(अ), तारीख 19 मई, 2008;

(xxxii) सा.का.नि. 508(अ), तारीख 7 जुलाई, 2009;

(xxxiii) सा.का.नि. 210(अ) तारीख 8 अप्रैल, 2013;

(xxxiv) सा.का.नि. 128(अ) तारीख 28 फरवरी, 2014.

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th February, 2015

G.S.R. 127(E).—In exercise of the powers conferred by section 9 of the Sugar Development Fund Act, 1982 (4 of 1982), the Central Government hereby makes the following amendments further to amend the Sugar Development Fund Rules, 1983, namely :—

1. (1) These rules may be called the Sugar Development Fund (Amendment) Rules, 2015.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Sugar Development Fund Rules , 1983 (hereinafter referred to as the said rules), for rule 20B, the following rule shall be substituted namely:—

   "20 B. Defraying expenditure on marketing and promotion services for raw sugar production- (1) The Central Government may from time to time, decide to defray expenditure for incentive towards marketing and promotion services for raw sugar production.

(2) The sugar factories which produce raw sugar and undertake export of the same either themselves or through exporters shall be eligible for incentive on shipment made under the scheme during 2013-14 and 2014-15 sugar seasons:

Provided that on export or deemed export of raw sugar during the sugar season 2014-15, sugar factories having ethanol production capacity shall be eligible for incentive, if they offer to supply ethanol quantity equal to their annual ethanol production capacity or quantity of ethanol equal to 25% of their annual alcohol production, whichever is less, during the said season to oil marketing companies against the expressions of interest floated by OMCs.

(3) The sugar factories shall also be entitled for such incentive for raw sugar supplies against import invalidation of Advance Authorisation License under Advance Authorisation Scheme:

Provided that such domestic supplies of raw sugar shall be refined and exported within ninety days of the supply.

(4) The incentive shall be at the rate of rupees three thousand three hundred per metric tonne for February and March, 2014, rupees two thousand two hundred seventy seven per metric tonne for April-May,2014, rupees three thousand three hundred per metric tonne for June-July,2014 and rupees three thousand three hundred seventy one per metric tonne for August-September, 2014 and the incentive shall be rupees four thousand per metric tonne for the current sugar season 2014-15(October, 2014-September, 2015).

(5) (i) The date of shipment shall be the basis of determining the incentive rate for exports undertaken during the period from 28.02.2014 to 30.09.2014.

(ii) For the sugar season 2014-15, the incentive shall be available for a fixed quantity of fourteen lakh metric tonne and the settlement of claims for the said season shall be prioritised on the basis of the date of export in case of direct raw sugar export and in case of raw sugar supply to refineries against invalidation of their advance authorisation, it shall be from the date of deemed export.

(6) For the direct export of raw sugar or of deemed export supplies against invalidation to Advance Authorisation holders, prior registration of export contracts from Director General of Foreign Trade through web address: http://dgft.gov.in/e_homepage.asp shall be mandatory.

(7) The incentive for exports undertaken in sugar season 2014-15, shall apply only in respect of raw sugar produced in sugar season 2013-14 or 2014-15.

(8) The incentive due to a sugar factory shall be utilised for making payment to the farmers within three months of its receipt and utilization to this effect shall be submitted within one month thereafter through Sugar Commissioner or Cane Commissioner in the Proforma specified herein.

(9) The incentive due to a sugar factory shall be released after adjusting or recovering any amounts, if over-due, towards Sugar Development Fund loans and LSPEF dues.

(10) In order to ensure the utilisation of released incentive amount for payments to farmers , the sugar factory shall either open a separate no-lien bank account and furnish details of the same at the time of submission of the claim or shall indicate the similar account already opened up for SEFASU-2014.

(11) The sugar factory shall submit its claim for payment referred to in sub-rule (4), in Form 'X', to the Chief Director (Sugar), Directorate of Sugar, Department of Food and Public Distribution, New Delhi and shall simultaneously submit a claim to the Sugar Directorate through its web address: http://esugar.nic.in/sugar_pii/ after export / deemed export.

(12) The claim for incentive for shipment made during the period October, 2014 - March, 2015, April- May, 2015, June-July, 2015, August-September, 2015 shall be submitted within one hundred and twenty days from the last day of the said period:

Provided that in the case of deemed export, the claim for incentive for the period August – September, 2015, shall be two hundred and ten days.

(13) Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of this rule.

(14) The Central Government may amend or modify or discontinue the scheme at any time and the beneficiaries shall have no right or claim against such decision.

Explanation: For the purposes of this rule, 'raw sugar' means sugar whose sugar content of sucrose by weight , in dry state, corresponds to a polarimeter reading of less than 99.5 referred to in Sub-heading Note 2 of Chapter 17 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975)

3. In the said rule, for Form X, the following Form shall be submitted, namely:—

Form X

[See sub rule (11) of rule 20 B]

APPLICATION FORM FOR DEFRAYING EXPENDITURE ON MARKETING AND PROMOTION SERVICES OF RAW SUGAR PRODUCTION

(To be furnished in duplicate by raw sugar producer factory)

1. Details of raw sugar manufacturer: -
   (a) Name: -
   (b) Plant short name: -
   (c) Plant code number: -
   (d) Complete address: -
   (e) Telephone (s) number, Fax Number and e mail: -
   (f) IEC code Number (if exporter by factory itself): -
2. Details of the exporter (if exported through merchant exporter): -
   (a) Name: -
   (b) Address: -
   (c) IEC code number: -
   (d) Date of validity of IEC: -
3. Details of separate bank account (no lien account) for making payments towards cane price arrears including RTGS Code, etc.:
4. Details of ethanol production / supply to oil marketing companies (mandatory for the sugar mills having ethanol production capacity)-

S.No.	Total alcohol produced during sugar season 2014-15.	Ethanol production capacity installed	Total ethanol produced during sugar season 2014-15	Date(s) of EOI floated by OMCs against which ethanol has been supplied for EBP.	Quantity of ethanol offered to supply to OMCs during sugar season 2014-15 against EOI referred in column 4.	Ethanol supply % of annual alcohol production. ((ethanol supplied / alcohol produced) X 100)	Remarks, if any.

Note: If the concerned State Government imposes any restriction on ethanol production, it should be clearly indicated in the remark column and a certificate in this regard from concerned excise authority is to be enclosed.

5. Details of amount claimed for payment:

S. No.	Raw Sugar produced and exported (In MT)	Incentive amount per MT (In Rs.)	Total amount admissible for incentive (In Rs.)	Remarks, if any

6. Details of documents to be enclosed:

988 GI/15-3

I. Export documents (the documents if not in original, to be certified by concerned custom authorities):

(A) In case of raw sugar export:

(a) Certified copy of ARE – 1.

(b) Certified copy of shipping bill indicating option of availing duty draw back on such export.

(c) Certified copy of LEO.

(d) Certificate of export proceeds realization (BRC).

(e) Copy of registration certificate issued by DGFT.

(f) In case a merchant exporter exports raw sugar produced by the factory, then an additional certificate substantiating the contract between the merchant exporter and the factory.

(B) In case of refined sugar export against AA invalidation:

(a) Agreement between raw sugar producer and AA holder.

(b) Copy of invalidation of AA License.

(c) Certified copy of ARE-3.

(d) Copy of RG-1 duly certified by Central Excise Authority indicating receipt of raw sugar into the refinery against import invalidation.

(e) Certified copy of ARE-2.

(f) Certified copy of shipping bill.

(g) Certified copy of LEO.

(h) Certificate of export proceeds realisation (BRC) issued by bank.

(i) Copy of registration certificate issued by DGFT.

(j) Certified copy of ER-1.

(C) Documents to be furnished by claimant sugar mill having ethanol production capacity:

(a) Documents showing annual installed capacity of ethanol duly certified by jurisdictional Excise Authority.

(b) Certificate from concerned Excise Authority indicating the quantity of alcohol and ethanol produced during current sugar season 2014-15.

(c) Certificate from concerned oil marketing companies indicating the quantity of ethanol offered for supply against their EOI.

(d) An undertaking on a non – judicial stamp paper of Rs. 50 by the concerned sugar mill who has produced ethanol but could not offer to supply due to non floatation of EOI by the oil marketing companies during sugar season 2014-15, indicating that the mill has produced required quantity of ethanol to offer for supply to OMCs in future as soon as the EOI shall be floated.

II. Pre-receipted bills in the prescribed Proforma as at Annexure- 1.

III. Reconciliation statement of ARE 1 wise quantity dispatched/exported, date of export and details of bank certificate of export and realisation for the exports made during the month, as per Proforma at Annexure – 2.

Place:

Date:

(Name and designation of authorised signatory of the sugar factory)
(Please indicate the name and affix the seal)

Annexure – 1

Pre-receipted bill for defraying expenditure on Marketing and Promotion Services of raw sugar production.

(To be furnished in duplicate)

Name and address of the factory: -

Received a sum of Rs. ______________________ (Rs.______________________only) from the Department of Food and Public Distribution.

DECLARATION :

1. I hereby solemnly affirm and declare that the information furnished above is correct and no relevant information has been concealed thereof.
2. I hereby declare that the above claim is in full and final settlement against the claim defraying expenditure on marketing and promotion services of raw sugar production.
3. I hereby certified that sugar factory did not receive defraying expenditure on marketing and promotion services of raw sugar production for the quantity exported during the period mentioned at serial number 4 of Form X from the Central Govt. prior to the submission of the this claim.
4. I hereby undertake to refund to the Central Government such amount of claim received by me along with interest, as may be required if any information given in the claim above is found to be incorrect at any time.
5. I hereby undertake to refund to the Central Government such amount of claim received by me along with interest, as may be required if any amount which was received for payment of cane price dues have not been utilised for the same or if the provision of these rules are not adhered to.
6. I also declare that I am competent to make the foregoing declaration and sign these documents on behalf of the proprietor or partner or company or occupier or owner of the above sugar factory.

Place:

Date:

(Name and designation of authorized signatory of the sugar factory)

(Please indicate the name and affix the seal)

Annexure – 2

Reconciliation statement of application for removal of excisable good (AREs) wise quantity dispatched/exported and details of bank certificate of export and realisation for the exports made during the period mentioned in serial number 4 of Form X.

Period of claim (October, 2014 – September, 2015):

Quantity exported: -____________________MT

ARE-1		ARE-2		ARE-3							
No. and Date	Quantity (in tonne) exported	No. and Date	Quantity (in tonne) exported	No. and Date	Quantity (in tonne) exported	SBs No. & date	Total Qty. of SB	Qty. involved against concerned ARE-1/ ARE-2	LEO Date of SB	Upload date of BRC for the corresponding SB	Remarks
Total											

Place: -

Date: -

(Name and designation of authorised signatory of the sugar factory)

(Please indicate the name and affix the seal)

PERFORMA

[See sub – rule (11) of rule 20B]

Utilisation Certificate

Certificate of utilisation of amount paid on account of incentive for marketing and promotion services of raw sugar production towards payment to farmers.

Name of sugar factory:

Short name and plant code:

This is to certify that an amount of Rs. ________ disbursed in the no-lien Account No. ________ maintained by ____________(Name and Branch of the Bank) on ______ (Date) towards the incentive for marketing and promotion services of raw sugar production , was utilized by the sugar factory for payment of cane dues of farmers, relating to the Fair and Remunerative Price (FRP), fixed by the Central Government, within three months of receipt of the incentive amount.

Signature:

Name

Designation

(Affix Official Seal)

Date:

Place:

(To be signed by State Sugar/Cane Commissioner)

[F. No. 20(90)/2013-SP-I)]

PRASHANT TRIVEDI, Jt. Secy.

Note : The Principal rules were published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 752 (E) dated the 28th September, 1983 and were subsequently amended as follows :—

(1) G.S.R 817 (E) dated the 20th December, 1984;
(2) G.S.R 838(E) dated the 14th November, 1985;
(3) G.S.R 551(E) dated the 6th May, 1988;
(4) G.S.R 235(E) dated the 24th April, 1991;
(5) G.S.R 441(E) dated the 28th April, 1992;
(6) G.S.R 435(E) dated the 6th May, 1994;
(7) G.S.R 27(E) dated the 12th January, 1996;
(8) G.S.R 656(E) dated the 21st November, 1997;
(9) G.S.R 91(E) dated the 12th February, 2001;
(10) G.S.R 886(E) dated the 6th December, 2001;
(11) G.S.R 442(E) dated the 21st June, 2002;
(12) G.S.R 584 (E) dated the 19th August, 2002;
(13) G.S.R 67 (E), dated the 29th January, 2003;
(14) G.S.R 241 (E), dated the 25th March, 2003;
(15) G.S.R 787 (E), dated the 6th October, 2003;
(16) G.S.R 895 (E), dated the 19th November, 2003;
(17) G.S.R 953 (E), dated the 17th December, 2003;
(18) G.S.R 72 (E), dated the 23rd January, 2004;
(19) G.S.R 687 (E), dated the 21st October, 2004;
(20) G.S.R 739 (E), dated the 9th November, 2004;
(21) G.S.R 149 (E), dated the 2nd March, 2005;
(22) G.S.R 451 (E), dated the 4th July, 2005;
(23) G.S.R 558 (E), dated the 15th September, 2006;
(24) G.S.R 188 (E), dated the 9th March, 2007;
(25) G.S.R 697 (E), dated the 7th November, 2007;
(26) G.S.R 699 (E), dated the 8th November, 2007;
(27) G.S.R 738 (E), dated the 29th November, 2007;
(28) G.S.R 749 (E), dated the 5th December, 2007;
(29) G.S.R 115 (E), dated the 28th February, 2008;
(30) G.S.R 279 (E), dated the 10th April, 2008;
(31) G.S.R 388 (E), dated the 19th May, 2008;
(32) G.S.R 508(E), dated the 7th July, 2009;
(33) G.S.R 210 (E) dated the 8th April, 2013.
(34) G.S.R 128 (E) dated the 28th February, 2014;

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.